सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2018/00012

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैपऊ

पीठासीन अधिकारी – हरिसिह लंम्बोरा आर0 ए0 एस0
प्रकरण संख्या– 07/2018

1–पूरनदेई पत्नी स्व0 धर्मवीर 2–राधेश्याम 3–हुकमसिंह 4–अमरसिंह 5–भूरा समस्त पुत्रगण स्व0 धर्मवीर समस्त जातिगण लोधा निवासीगण नगला खरगपुर तहसील सैपऊ जिला धौलपुर 6–मधू पुत्री स्व0 धर्मवीर पत्नी श्री नरेश जाति लोंधा निवासी नगला खरगपुर हाल निवासी लुधपुरा तहसील बाडी 7.–विमलेश पुत्री धर्मवीर पत्नी मुकेश जाति लोधा निवासी नगला खरगपुर हाल निवासी ग्राम कुईया तहसील बसेडी जिला धौलपुर 8–मुन्ना पुत्र स्व0 भोपति जाति लोधा निवासी नगला खरगपुर तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

––प्रार्थीगण

बनाम

1–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ
2–रेवती पुत्री पातीराम पत्नी फतेहसिंह जाति लोधा निवासी नगला खरगपुर तहसील सैपऊ हाल निवासी पेजपुरा तहसील व जिला धौलपुर 3–रेशो पुत्री पातीराम पत्नी पातीराम जाति लोधा निवासी नगला खरगपुर हाल निवासी पेजपुरा तहसील व जिला धौलपुर 4– बिसम्बर पुत्र जविता जाति लोधा निवासी लालपुर तहसील खेरागढ जिला आगरा 5–अंन्ता पुत्र जविता जाति लोधा निवासी लालपुर तहसील खेरागढ जिला आगरा 6–चमेली वेवा पूरनसिंह 7–रामवीर पुत्र पूरनसिंह 8–कोमल पुत्र बुद्धा 9–बीधा पुत्र जानकी 10–मोतीराम पुत्र जानकी 11–तुन्ना पुत्र जानकी समस्त जातिगण लोधा निवासीगण नगला खरगपुर तहसील सैपऊ जिला धौलपुर 12–गुड्डी पुत्री जानकी पत्नी ग्याप्रसाद जाति लोधा निवासी नगला खरगपुर हाल निवासी सामौ तहसील व जिला आगरा 13–माया पुत्री जानकी पत्नी नत्थी जाति लोधा निवासी नगला खरगपुर हाल निवासी गोपालपुरा तसीमों तहसील सैपऊ जिला धौलपुर 14–ल्होरी पुत्री जानकी पत्नी अशोक जाति लोधा निवासी नगला खरगपुर हाल निवासी ग्राम मई तहसील अछनेरा जिला आगरा 15–होतम 16–बच्चू पुत्रगण किशनसिंह जातिगण लोधा निवासी नगला खरगपुर तहसील सैपऊ जिला धौलपुर 17–श्रीभगवान 18–दीनानाथ 19–हरिओम 20–शैलेन्द्र कुमार 21–मोहनप्रकाश 22– रमाकान्त पुत्रगण रामगोपाल जातिगण ब्राह्मण निवासीगण नगला खरगपुर तहसील सैपऊ

––अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा
136 एल आर एक्ट

उपस्थिति– 1–श्री योगेश एडवोकेट– प्रार्थीगण

निर्णय **दिनांकः 10.04.2019**

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 42 एंव 47

उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ

जिसके गत खसरा नम्बर 34, 39 वाके ग्राम नगला खरगपुर तहसील सैपऊ के खातेदार काश्तकार भोपति बल्द मोहनलाल हिस्सा 1/4 भाग थे जिनका निधन हो चुका है। भोपति के वारिस प्रार्थीगण सं 8 मुन्ना तथा धर्मवीर थे धर्मवीर का निधन हो चुका है जिसके वारिस प्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 है। मेघसिह व किशनसिह पिसरान रामसिह 1/4 भाग के खातेदार काश्तकार थे। गिर्राज के वारिस नेमी, महाराजसिह व मु0 कम्पूरी वेवा गिर्राज थे जिन्होने अपना हिस्सा 3/32 अप्रार्थी संख्या 17 लगायत 22 को विक्रय कर दिया, तथा मेघसिह बिना शादी बिना औलाद फौत हुआ था व किशन सिंह का निधन हो चुका है किशनसिंह का नाम राजस्व रिकार्ड में त्रुटिवश विशन सिंह अंकित हो गया है तथा किशन के वारिस एवं उत्तराधिकारी अप्रार्थी संख्या 15 व 16 होतम व बच्चू है तथा मेघसिंह का हिस्सा बिना शादी बिना औलाद फोत होने की वजह से गिर्राज व किशन सिंह के वारिसान ने प्राप्त किया था तथा विवादित आराजी में 1/4 हिस्सा पातीराम व ईश्वरीया उर्फ ईश्वरी पुत्र पूरना का था पातीराम के वारिस अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 05 है तथा ईश्वरी उर्फ ईश्वरीया बिना शादी बिना औलाद के फौत हुआ था तथा ईश्वरी को वारिस एवं उत्तराधिकारी भी अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 है पीरिया वल्द पूरना विवादित आराजी में 1/8 भाग का खातेदार काश्तकार था पीरिया के वारिस एवं उत्तराधिकारी पीरिया के पुत्रगण सोना, बलवन्त, बुद्धा थे सोना व बलवन्त बिना शादी बिना औलाद फोत हो चुके है तथा बुद्धा का भी निधन हो चुका है बुद्धा के वारिस एवं उत्तराधिकारी बुद्धा की पत्नी मंगलिया तथा पूरन व कोमल थे कोमल अप्रार्थी संख्या 08 है। तथा पूरन के वारिस एवं उत्तराधिकारी अप्रार्थी संख्या 6 व 7 चमेली व रामवीर है तथा मंगलिया का निधन हो चुका है ल्होरे पुत्र मोहन विवादित आराजी के 1/8 भाग का खातेदार था ल्होरे का निधन हो चुका है ल्होरे का वारिस एवं उत्तराधिकारी पुत्र जानकी था जानकी का भी निधन हो चुका है जानकी एंव ल्होरे के वारिस एंव उत्तराधिकारी अप्रार्थी संख्या 9 लगायत 14 है। प्रार्थीगण के दादा व पिता भोपति के 1/4 भाग के खातेदारी इन्दाजात राजस्व कर्मचारियों ने भूलवश लोपित कर दिये तथा भोपित को 1/4 के स्थान पर 1/16 भाग का खातेदार भूलवश अंकित कर दिया । गिर्राज के वारिस एवं उत्तराधिकारी नेमी व महाराज सिंह ने अप्रार्थी संख्या 17 लगायत 22 के पक्ष में दिनांक 26.11.1982 को हिस्सा 3/32 भाग का विक्रय पत्र निष्पादित किया था जिसका नामान्तकरण संख्या 307 विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2042–2015 खुला था राजस्व कर्मचारियों ने जमाबन्दी संवत 2046–49 खाता संख्या 100 वाके ग्राम नगला खरगपुर में अप्रार्थी संख्या 17 लगायत 22 का हिस्सा 3/32 के स्थान भूलवश 3/8 अंकित कर दिया। अप्रार्थी संख्या 15 व 16 का हिस्सा भी 1/8 के स्थान पर 1/16 अंकित कर दिया तथा पिता का नाम किशनसिह के स्थान विशनसिह अंकित कर दिया।

अंत में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के पिता व दादा भोपति बल्द मोहनलाल का हिस्सा दुरूस्त कर 1/4 अंकित किया जावें । अप्रार्थी संख्या 17 लगायत 22 का हिस्सा 3/32 एंव विशनसिह के स्थान पर किशनसिह किया जावें ।

उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किये गये। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 14 एंव 17 लगायत 22 की ओर से जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में अंकित सभी मदो को स्वीकार करते हुये प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का निवेदन किया।

हमने एकपक्षीय बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज नकल जमावन्दी संवंत 2070–73 खाता संख्या 114, नकल जमावन्दी संवंत 2015–18 खाता संख्या 74, नकल जमावन्दी संवंत 2037–40 खाता संख्या 112, नकल जमावन्दी संवंत 2042–45 खाता संख्या 104, नकल जमावन्दी संवंत 2047–50 खाता संख्या 100, नकल मिलान क्षेत्रफल , नकल सेटलमेन्ट खाता संख्या 225, नकला नामा0 संख्या 307, 271, जमावन्दी संवत 2042–45 तथा छायाप्रति बयनामा दिनांक 26. 11.1982 वहक श्री भगवान, दीनानाथ, हरिओम, शैलेन्द्रकुमार, मोहनप्रकाश, रमाकान्त पिसरान रामगोपाल से हम सहमत है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार करना उचित समझते है।

अतः आदेश दिया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 42 एंव 47 वाके ग्राम नगला खरगपुर तहसील सैपऊ में प्रार्थीगण के पिता व दादा भोपति बल्द मोहनलाल का हिस्सा 1/4, अप्रार्थी संख्या 17 लगायत 22 का हिस्सा 3/32 एंव विशनसिह के स्थान पर किशनसिह दुरूस्त किया जावें । तहसीलदार सैपऊ को पालना हेतु तहरीर जारी की जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक **10.04.2019** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(हरिसिह लम्बोरा)
उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ